न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

म पीठासीन अधिकारी–श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

ण संख्या– 218/2015 (राजस्व वाद) दायर दिनांक– 09.11.2015

फैसल दिनांक–10.09.2025

अनवान

ालशंकर पिता गंगाराम जोशी उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर ।

(वादी)

बनाम

ानशंकर पिता देवराम मेहता ब्राहमण उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

जयशंकर पिता देवराम मेहता उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

रूकमणी बेवा देवराम मेहता उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी–श्री निखील सोमपुरा

वकील प्रतिवादीगण– श्री मंयक दोसी

वाद बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188– 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

वादी के वांद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादीग एक ही गॉव के निवासी है वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि मौजा पारडा मेहता मे आस पास स्थित है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा पारडा मेहता मे पास पास स्थित है। वादी का खाता संख्या 288/2614 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.06 बीघा की स्थित है तथा प्रतिवादीगण का खाता संख्या 208/196 कुल खसरा 23 कुल रकबा 15.02 बीघा की स्थित है। उपरोक्त सभी भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज हो उसका उपयोग उपभोग व काश्त करते आ रहे है।

यह कि वादी की कृषि भूमि में स्थित खसरा नं0 452 रकबा 0.02 बीघा, 453 रकबा 0.09 बीघा, 458 रकबा 0.06 बीघा, 459 रकबा 0.04 बीघा, 460 रकबा 0.05 बीघा के पास ही प्रतिवादीगण का खसरा नं0 393 रकबा 0.15 बीघा का स्थित है जिसकी सीमा वादी के खेतो में मिलती है जिस कारण प्रतिवादीगण जबरन वादी की सहमति के बिना मौके पर निर्माण कार्य करने उतारू होकर निर्माण कार्य कर रहे है जिसमें से वादी के खेत का हिस्सा भी सम्मिलित कर रहे है।

यह कि वादी के कब्जेशुदा एवं खातेदारी भूमि से ठीक पास प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पर कब्जा करने की नियत ये बाउण्ड्रीवाल बनाई जा रही है। जमीन के भव आसमान से प्रतिवादीगण के मन में फितुर उत्पन्न हुआ और वह वादी की भूमि पर क्बजा करने नियत से ऐसा कर रहे है साथ ही उनकी उपजाउ जमीन को बिगाडना चाहते है और प्रतिवादीगण द्वारा उसे अपनी भूमि बताई जा रही है जबकि उक्त भूमि वादी के देदारी व कब्जे काश्त की है।

यह कि वादी की उक्त कब्जे शुदा एवं खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा परकोटे निर्माण कार्य धडल्ले से कराया जा रहा है वादी व्यवसाय करने से ज्यादातर बाहर रहता जब वादी को इसकी जानकारी हुई तो उसने एन्हे ऐसा करने से रोका गया पर तिवादीगण व उसके मजदुर नही माने और निर्माण जबरन करते आ रहे है जिससे वादी एवं तिवादीगण के मध्य सिमा विवाद हुआ जिस पर प्रतिवादीगण ने तहसील सागवाडा में प्रार्थना पेश कर दिनांक 08.06.2014 को पटवारी से मिल कर मौका पर्चा बनवाया जिससे वादी तुष्ठ नही होने से मौके पर विवाद बना रहा और दोनो ही पक्षकारों ने परस्पर मुकदमे दर्ज रवाये जिस पर उन्हे उपखण्ड मजिस्ट्रेट समक्ष पेश किये जा जुलाई 2014 में पाबन्द किया या परन्तु प्रतिवादी अपनी हरकतो से बाज नही आया जिस उनके मध्य विवाद जारी रहा स पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को पक्षकार बनाये बिना ही धारा 128 ले.रे.एक्ट का र्थना पत्र दिनांक 12.12.2014 को पेश कर बाला बाला ही पटवारी से मिल वादी की नुपस्थिति का फायदा उठा दिनांक 30.06.2015 को मौका पर्चा पत्थरगढी का बनवाया ओर र्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया जिस पर वादी द्वारा पुनः रोके जाने पर प्रतिवादी ने धिवक्ता के मार्फत वादी को नोटिसय दिनांक 30.07.2015 को दिया जिसका जवाब वादी ने पने अधिवक्ता से दिनांक 22.07.2015 को दिया जिस पर कार्यवाही शेष है।

यह कि वादी का प्रतिवादी के मध्य काफी विवाद होने पर अन्त में दिनांक 11.08.2015 को समझोता हुआ जिस अनुसार वादी जब तक मौके की सीमा जानकारी करे मौके कि स्थिति स्पष्ट नही कर लेता जब तक प्रतिवादीगण मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करेगे ओर इस कम में वादी ने सीमा जानकारी हेतु आस--पास के खातेदारों को पक्षकार बना कर आवेदन कर दिया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इकरार की शर्तो का उल्लंघन करते हुये पुनः दिनांक 15.10.2015 को अधिक मजदुर लगाकर निर्माण कार्य चालु करवा दिया ओर वादी के साथ मारपिट की एवं वादी की भूमि में निर्माण करने उतारू हो रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.10.2015 को जबरन निर्माझा कार्य करने पर वादी द्वारा उन्हे रोकने पर वादी से प्रतिवादीगण एवं मौके पर मजदुरों ने गाली--गलोच की व मारपीट पर उतारू हुए तथा उक्त भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से किसी भी प्रकार हडपने की नियत रखते हुए अतिकमण की चाहा रखते है जिससे वादी को वाद पेश करने की नौबत आई।

यह कि मोजा पारडा मेहता में वादी के खातेदारी की स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि से बेदखल कर उस पर कब्जा करने की नियत प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर धडल्ले से निर्माण कार्य करन एवं दिनांक 15.10.2015 को वादी के साथ झगडा कर मौके पर जबरन निर्माण

करने से वाद कारण लगायात उत्पन्न हो रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर
क्रमण की नियत से निमार्ण कार्य सुचारू रख कार्य कराया जा रहा है जिससे वाद का
दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।
ह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर जबरत कब्जा करनक की नियत से
ादीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिससे वादी के हितो को
ान हो वादी की अपुरणिय क्षति हो रही है जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती है जिस
ग प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो किये गये निर्माण
को ध्वस्त किया जाना अतिआवश्यक है नही तो वादी न्याय से वंछित हो जायेगा।

वाद पर पेश कर निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध
आशय की डिक्री फरमाई जावे कि:-
ह कि मोजा पररडा मेहता में वादी के खाता संख्या 288/2614 कुल खसरा 5 कुल
ा 1.06 बीघा के खसरा नं0 452 रकबा 0.02 बीघा, 453 रकबा 0.09 बीघा, 458 रकबा 0.
बीघा, 459 रकबा 0.04 बीघा, 460 रकबा 0.05 बीघा में वादी के खातेदारी की भूमि पर
वादीगण कोई अतिक्रमण व कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य न तो स्वंय या अपने
न्ट, मजदुर, ठेकेदार रिश्तेदार अन्य किसी से करावे तथा किये गये निर्माण कार्य को
स्त किया जावे एवं वादी के खातेदारी भूमि वादी के निर्माण व उपयोग उपभोग में किसी
ार से रूकावट पैदा नही करे जिस हेतु उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।
यह कि वादी खातेदारी व कब्जेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करे ओर
ी के उसके उपयोग उपभोग में कोई रूकावट पैदा नही करे और उक्त भूमि को वादी की
षित की जावे और दौराने दावा अगर प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कर लिया जाता है
उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से ध्वस्त किया जावे।
-यह कि खर्च वकील फीस वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।
-अन्य कोई दाद जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

वादीगण की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ
ारा 91 की नोटिस , रसीदें ,भूमि आवंटन आदेश ,नक्षा ट्रैस , जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत
की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने
सम्मन जारी किए गए। वकील प्रतिवादी की ओर से श्री मयंक दोसी ने वकालात नामा पेश
कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 20.04.2016 को जवाब पेश
किया गया जिसकी नकल वादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात
हेतु निर्धारित की गई। तत्पश्चात दिनांक 01.03.2017 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की
गई:-
1-आया वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन निर्माण किया
जा रहा है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ?
(वादीगण)

2-आया प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर परकोटे का निर्माण कार्य न्यायालय
आदेश से हुई पत्थरगढी के मुताबिक कराया जा रहा है ?
(प्रतिवादीगण)

दावरसी ?

बाद तनकीयात कायम कर वास्ते साक्ष्य वादी हेतु निर्धारित किये जाने से वादी ील ने साक्ष्य हेतु अवसर चाहा गया। वकील वादी ने साक्ष्य में गवाह लालशंकर PW.1 बयान का शपथ पत्र पेश किया गया नकल प्रतिवादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली ते जिरह निर्धारित की गई।

दिनांक 17.02.2020 को वादी गंगाराम से जिरह पुर्ण की एवं वादी वकील अन्य गवाह नही करने से साक्ष्यवादी बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी निर्धारित की गई। ील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश करने अवसर चाहा गया। वकील प्रतिवादी बार–बार अवसर ने से वकील वादी ने आपत्ति जाहिर करने से रू.100/– कोस्ट पर अवसर प्रदान किया ।। पुनः साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही किये जाने से रू.500/– कोस्ट पर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु सर प्रदान किया गया। दिनांक 13.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 मानशंकर का साक्ष्य के र्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया नकल वादी वकील को दिलाई गई पत्रावली वास्ते जिरह वादी गवाह से वकील वादी निर्धारित की गई।

दिनांक 22.05.2024 को वादी अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.03.2020 से निरन्तर साक्ष्य हेतु अवसर लिये गये है परन्तु ज दिनांक तक साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाये जाने से न्यायालय द्वारा बार–बार समय दिये ने के बादजुद भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रतिवादी अधिवक्ता असफल रहे। प्रतिवादी धेवक्ता को आगे ओर समय दिया जाना उचित नही है। प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द किया ता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गई।

तत्पश्चात वकील प्रतिवादी ने दिनांक 12.06.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी खोलने प्रस्तुत या वकील वादी ने अनापत्ति जाहीर करने से साक्ष्य प्रतिवादी पुनः खोलने के आदेश दिये ये। प्रतिवादी वकील ने प्रतिवादी के साक्ष्य के रूप में गवाह मानशंकर के बयान लेखबद्व राये गये, ओर कोई साक्ष्य पेश नही करने निवेदन पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु निर्धारित ो गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए त्रावली पर आई साक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षण कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया तिवादी ने विरोध करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया।

यहा न्यायालय के समक्ष पत्रावली के निर्णय से पुर्व आये विवाद पर बनी तनकीयों के वेचना किया जाना है। पत्रावली में तनकी संख्या 1 जो वादी को साबित करनी है कि :–
1–आया वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ?

(वादीगण)

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का था, वादी की खातेदारी भूमि मौजा पारडा मेहता के खाता संख्या 288/261 वर्ष 2015 की जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी, वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर वादी के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा कर रहा है वादी के द्वारा साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श 1 से 5 तक प्रदर्शित करवाये ओर स्वंय को न्यायालय में परिक्षित करवाया जिसमें प्रतिवादी की जिरह के दौरान वादी ने कहा है प्रतिवादी से मेरे सीमा विवाद है, मानशंकर अपनी भूमि पर परकोटा बना रहा है, उसने मेरा परकोटा गिराया इसलिये मैने ये दावा किया है, मैने पत्थरगढी का दावा भी किया है, प्रतिवादी पत्थरगढी के अनुसार निर्माण करे तो मुझे आपत्ति नही है मेरी कुछ भूमि पर हरिराम ने कब्जा किया है जैसा पर्चा मौका में आया है। इसके विपरित प्रतिवादी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वादी की भूमि पर अतिक्रमण नही कर अपने पैत्रक खातेदारी की भूमि पर सिमांकन

के बाद कार्य करवा रहा है। प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया है कि वादी से खेतो की को लेकर विवाद है, ऐसे में उक्त तनकी वादी साबित करने में सफल रहा है। उक्त का निर्धारण वादी के पक्ष में किया जाता है।

या प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर परकोटे का निर्माण कार्य न्यायालय से हुई पत्थरगढी के मुताबिक कराया जा रहा है ?

(प्रतिवादीगण)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का था। वादी ओर प्रतिवादी ने बयानों में सीमा विवाद को स्वीकारा है ओर मौके पर सिमांकन हो, सिमाकंन के र प्रतिवादी द्वारा निर्माण को स्वीकारा है, ऐसे में प्रतिवादी पत्थरगढी के अनुसार कार्य हा है तो उक्त तनकी प्रतिवादी साबित करने में सफल रहा है।

उपरोक्त तनकी वार विवेचन से न्यायालय के सामने अब कोई विचारणीय बिन्दु शेष हता है, न्यायालय मत है कि प्रतिवादी पत्थरगढी के आदेशानुसार मौके पर वादी की र अतिक्रमण किये बिना अपना कार्य करे। वादी ओर प्रतिवादी दोनो ने अपना अपना ाबित किया है। ऐसे में पत्रावली में निर्णय यह दिया जाना न्यायोचित है कि वादी भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है, प्रतिवादी अपनी े अलावा वादी की भूमि में अतिक्रमण नही कर उसके उपयोग उपभोग में रूकावट पेदा रे। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व र्गत होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया । डिकी पर्चा जारी पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत — उपखण्ड अधिकारी सागवाडा मुकाम — सागवाडा

बईजलास – श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

218 / 2015 (वाद)

अनवान

लशंकर पिता गंगाराम जोशी उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा ज़िला डूँगरपुर ।

(वादी)

बनाम

नशंकर पिता देवराम मेहता ब्राहमण उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा ाल ओबरी जिला डूँगरपुर

यशंकर पिता देवराम मेहता उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

कमणी बेवा देवराम मेहता उम्र व्यस्क निवासी पारडा मेहता तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

ीमान तहसीलदार साहब तहसील सागवाडा हाल ओबरी जिला डूँगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188– 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वकील वादी– श्री निखील सोमपुरा

वकील प्रतिवादी– श्री मयंक दोसी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 निजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार किया ाता है । प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के वादग्रस्त खसरे में अतिकमण नही करे ओर वादी के उपयोग उपभोग में रूकावट पेदा नही करे।

नीज .....मुबलिग.....बाबत .....खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर ..... फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक .....का अदा करे । बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान		

फीस कमीश्नर ईजराय हुक्मनामा मीजान			फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा
जिला राजसमन्द (राज.)